न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 31/2016
जीसीएमएस : 2016/00622

1. शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
2. मदनलाल पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
3. रामस्नेही पुत्री बृजलाल पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़
4. कृष्णा पुत्री बृजलाल पत्नी पटेलराम जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़
5. मनोहरलाल
6. भजनलाल
7. कृष्णलाल
8. रामनारायण
9. जगदीश

} पिसरान सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर

10. कमलादेवी पत्नी मनफूल जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
11. जयपाल पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
12. बिजेश कुमार पि.मु. गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. श्री कृष्णलाल लदोईया, वकील प्रार्थी
2. श्री ज्योतिष बिश्नोई एवं राजाराम धारणियां, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.कास्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक पीएस बी का मु.नं. 31 प.नं. 224/285 के 6.325है. नहरी सोहनलाल–बृजलाल–शंकरलाल पिसरान छोगाराम, बिजेश कुमार दत्तक पुत्र गोपीराम, व ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी थी। सोहनलाल, बृजलाल व औमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी हैं। सोहनलाल के अप्रार्थी सं. 5 ता 9 व 10 के पति व 11 के पिता मनफूल के वारिस हैं। व बृजलाल के अप्राथीं सं. 1 ता 4 वारिस है। औमप्रकाश के कोई लडका या लड़की नहीं थी। अविवाहित फौत हुआ था। सोहनलाल मृतक के वारिसान के नाम विरास्तन इंतकाल हो चुका हैं। ओमप्रकाश प्रार्थी का सगा भाइ था तथा अविवाहित था प्रार्थी के पास ही रहता था। प्रार्थी ही उसकी सेवा करता था। विवादित भूमि में सोहनलाल, बृजलाल व औमप्रकाश व प्रार्थी के अलावा सहकाश्तकार गोपीराम का बहिस्सा बराबर बराबर था जिसमें गोपीराम मृतक ने अपने जीवनकाल में बिजेश कुमार को दत्तक पुत्र बना लिया था। गोपराम की मृत्यु के बाद उनके 1/5 हिस्सा भूमि का इन्काल बिजेश कुमार अप्रार्थी [illegible] 2 के नाम हो चुका हैं। भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा था। मृतक औमप्रकाश के [illegible] पर प्रार्थी ही औमप्रकाश के जीवनकाल से लेकर आज तक काश्त करता रहा हैं तथा [illegible] सोहनलाल के 1/5 हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 11 काबिज [illegible] बृजलाल की 1/5 हिस्सा की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 काबिज हैं [illegible] अनुसार प्रार्थी मु.नं. 31 [illegible] कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, व 24, 25 कुल 10 बीघा पर काबिज [illegible] काश्त कर रहा हैं शेष [illegible] अप्रार्थीगण 1 ता 12 बंटवारानुसार काबिज हैं। मृतक औमप्रकाश [illegible] 40 वर्ष पूर्व फौत हो [illegible] हैं। जिनके 1/5 हिस्सा पर प्रार्थी उनकी मृत्यू के रोज से काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी का कब्जा एडवर्स पोजीशन के तहत आता हैं। प्रार्थी मृतक औमप्रकाश के 1/5 हिस्सा की भूमि का खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी हैं कि वे औमप्रकाश के 1/5 हिस्सा से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नापाक इरादा में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। चक 26 पीएस बी के मु.नं. 31 प.नं. 224/285 के प्रार्थी के कब्जा काश्त के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 10 बीघा भूमि में नाजायज कब्जा नहीं कर प्रार्थी को बेदखल नहीं करें बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किय गया। अप्रार्थी सं. 12 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकारते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1, 6 ता 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2009 तथा अप्रार्थी सं. 5, 10 व 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2010 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि विरास्तन सोहनलाल–बृजलाल–शंकरलाल–गोपीराम–औमप्रकश को प्राप्त हुई। गोपीराम ने कभी भी अप्राथी सं. 12 विजेश कुमार जो कि प्रार्थी का पुत्र है, को कभी गोद नहीं लिया था। कथाकथित गोदनामा कूटरचित व फर्जी दस्तावेज हैं, जिस पर गोपीराम की पत्नी के सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर या अंगूठा नहीं हैं। गोपीराम की पत्नी आज भी जीवित है। गोपीराम की भूमि का इन्तकाल प्रार्थी व अप्राथी सं. 12 ने अपने नाम गलत दर्ज करवाया हैं। औमप्रकश लाऔलाद फौत होना स्वीकार हैं। मगर उसके 1/5 हिस्सा पर कभी भी प्रार्थी अकेला काबिज होकर काश्त नहीं की बल्कि औमप्रकाश के मृत्यु पश्चात उसके प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के वारिस उसके हकीकी भाई है इसलिए औमप्रकश की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्सा की भूमि उसके वारिसान भाईयों ने बहिस्सा बराबर आ गई और तदनुसार काश्त करने लगे। बृजलाल–सोहनलाल–गोपीराम के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी को घरू तौर पर विभाजन में कभी भी उपरोक्त रकबा का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर वाद पेश किया हैं। प्रार्थी व उसका परिवार सदभावी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों मुख्य बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया औमप्रकाश लाऔलाद फौत हुआ था। प्रार्थी ही औमप्रकाश की सेवा करता था। प्रार्थी औमप्रकाश के हिस्सा की भूमि पर लगभग 40 वर्ष से काबिज हैं। अतः प्रार्थी का कब्जा एडवर्स पोजीशन के अन्तर्गत आता हैं। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि औमप्रकश लाऔलाद फौत होना के पश्चात उसके 1/5 हिस्सा की भूमि पर कभी भी प्रार्थी अकेला काबिज होकर काश्त नहीं की बल्कि औमप्रकाश के मृत्यु पश्चात उसके प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के वारिस उसके हकीकी भाई है इसलिए औमप्रकश की मृत्यु उपरान्त उसके हिस्सा की भूमि उसके वारिसान भाईयों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी सद्भावी नहीं हैं। मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी अकेले का कभी भी औमप्रकाश की भूमि पर कब्जा नहीं रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने क्ष में विपरीत कब्जे को आधार मानकर सह खातेदारान के विरूद्ध औमप्रकाश के हिस्से की भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। प्रार्थी औमप्रकाश का एकमात्र वारिस नहीं हैं। न ही प्रार्थी द्वारा औमप्रकश द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में छोड़ा जाने संबंधी कोई दस्तावेज पेश किया हैं। मात्र विपरीत कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:14 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता सोनी
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner